

(641)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक- 45(3)-नविदे/3/99 पार्ट

जयपुर दिनांक: 17 OCT 2011

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21/7/2011 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संबंधित निकाय द्वारा फार्म हाउस प्रयोजनार्थ रूपान्तरित कराये जाने वाले भूखण्डों पर मूल आवेदक काबिल है या अन्य कोई, इस संबंध में जांच उपरान्त पट्टाविलेख (लीजडीड) मूल आवेदक का कब्जा प्रमाणित होने पर ही मूल आवेदक के पक्ष में जारी किया जावे। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे कि परिपत्र दिनांक 21.7.2011 अनुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति के 5 वर्ष की अवधि में फार्म हाउस विकसित किया गया है अथवा नहीं तथा उक्त 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर आक्टन तथा भू-उपयोग परिवर्तन स्ततः निरस्त माना जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—Sd/—
(एन.एल.मीना)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर..... (राजस्थान)।
7. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
11. सचिव, नगर सुधार न्यास..... (समस्त)
12. रक्षित पत्रावली।

17/10/2011
शासन उप सचिव-तृतीय